अध्याय-III
राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर, अन्य मादक द्रव्यों जैसे चरस, भाँग एवं गांजा इत्यादि पर फीस आरोपित या आदेशित समपहरण उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0आ0अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत की जाती है। ये नियम मदिरा तथा अन्य मादक द्रव्यों की अवैध खरीद–बिक्री, अल्कोहल के आयात–निर्यात तथा उसके विधिविरूद्ध उत्पादन पर नियंत्रण करते हुए विभाग में राजस्व के रिसाव पर प्रबल नियंत्रण रखने हेतु बनाये गये हैं।

आसवनियों में अल्कोहल का उत्पादन मुख्यतः चीनी निर्माण के दौरान सहउत्पाद के रूप में प्राप्त शीरे से होता है। अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा (दे0म0) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) जैसे व्हिस्की, ब्राण्डी, रम एवं जिन निर्मित की जाती है। आसवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर आबकारी राजस्व का प्रमुख भाग होता है। आसवनी से मानव उपभोग हेतु मदिरा का निर्गम या तो बन्ध–पत्र के अधीन बिना आबकारी अभिकर के या निर्धारित दर पर उसके अग्रिम भुगतान पर होता है। आबकारी अभिकर के अलावा लाइसेन्स फीस भी आबकारी राजस्व का भाग होती है। जिला अधिकारी (जि0अ0), जिला आबकारी अधिकारी (जि0आ0अ0) की सहायता से, जिले में मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन के लिये उत्तरदायी है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, आबकारी प्रशासनिक प्रमुख हैं। अभिकर, फीस एवं अन्य करों के संग्रहण का संचालन एवं अनुश्रवण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है जिनका सहयोग मुख्यालय स्तर पर दो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, तीन संयुक्त आबकारी आयुक्त (सं0आ0आ0), 10 उप आबकारी आयुक्त (उ0आ0आ0) एवं छः सहायक आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) करते हैं। प्रभावी प्रशासन के उद्देश्य से प्रदेश को चार जोन एवं 17 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। राजस्व के निर्धारण, आरोपण एवं उद्ग्रहण हेतु जनपद स्तर पर जि0आ0अ0/स0आ0आ0 तैनात हैं। आबकारी अभिकर के आरोपण एवं उद्ग्रहण हेतु आसवनी स्तर पर स0आ0आ0/प्रभारी अधिकारी (निरीक्षक) तैनात किए गए हैं।

3.2 प्राप्तियों का रुझान

राज्य आबकारी से वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के साथ कुल कर प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका एवं रेखाचित्र में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+) कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों से प्रतिशत
2007-08	4,192.00	3,948.40	(–) 243.60	(–) 5.81	24,959.32	15.82
2008-09	5,040.00	4,720.01	(–) 319.99	(–) 6.35	22,658.97	16.47
2009-10	5,176.45	5,666.06	(+) 489.61	(+) 9.46	33,877.60	16.73
2010-11	6,763.23	6,723.49	(–) 39.74	(–) 0.59	41,355.00	16.26
2011-12	8,124.08	8,139.20	(+) 15.12	(+) 0.19	52,013.43	15.47

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

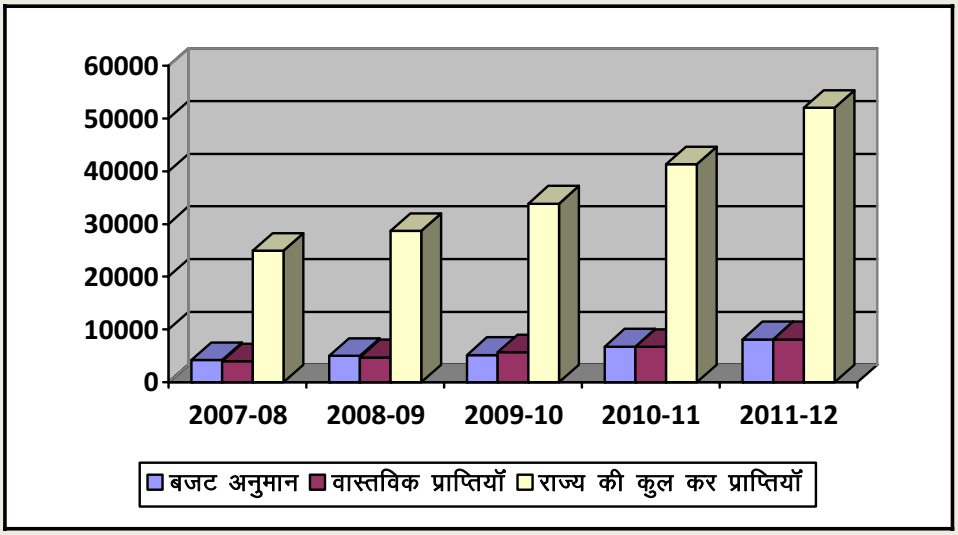

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में जहाँ वास्तविक प्राप्तियाँ वृद्धि का रूझान प्रदर्शित करती हैं, वहीं विभाग की वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत राज्य के कुल कर प्राप्तियों के सापेक्ष कमी का रूझान दिखाती हैं। तथापि, विगत दो वर्षों में बजट अनुमान सामान्यतः सही हैं।

3.3 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को राजस्व बकाया ₹ 54.82 करोड़ था जिसमें से ₹ 51.87 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक पुराने थे। वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में राजस्व बकाये की स्थिति निम्नलिखित तालिका में वर्णित है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाये का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि	बकाये का अन्तिम अवशेष
2007-08	60.89	0.56	0.06	61.39
2008-09	61.39	0.59	0.03	61.95
2009-10	61.95	1.35	0.07	63.23
2010-11	63.23	0.45	6.96	56.72
2011-12	56.72	0.03	1.93	54.82

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

हम संस्तुति करते हैं कि बकाये की शीघ्र वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाने के लिए विचार करे।

3.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के लिये सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष की संग्रह लागत का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2009-10	5,666.06	70.86	1.25	3.66
2010-11	6,723.49	95.72	1.42	3.64
2011-12	8,139.10	101.26	1.24	3.05

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

हमने पाया कि राज्य आबकारी विभाग की संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत से काफी कम है।

3.5 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

2006–07 से 2010–11 के दौरान हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, अवनिर्धारण/राजस्व हानि, अनियमित छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 979 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 1,749.80 करोड़ का राजस्व निहित था। विभाग/शासन ने इनमें से 87 मामलों में शामिल ₹ 2.54 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की एवं इसकी वसूल की गई। विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयो की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकार की गई धनराशि		वसूल की गयी धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
2006-07	80	122	60.68	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2007-08	82	93	18.80	12	0.06	12	0.06
2008-09	118	189	1,372.36	09	0.20	09	0.20
2009-10	119	140	66.93	20	0.95	20	0.95
2010-11	190	435	231.03	46	1.33	46	1.33
योग	**589**	**979**	**1,749.80**	**87**	**2.54**	**87**	**2.54**

3.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य आबकारी प्राप्तियों के 200 इकाईयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 97.34 करोड़ के 383 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	33	27.75
2.	शास्ति का अनारोपण	16	0.54
3.	विदेशी मदिरा की दुकानों पर अनुज्ञापन शुल्क आरोपित न किया जाना	88	14.35
4.	ब्याज का अनारोपण	16	0.73
5.	अन्य अनियमितताएं	230	53.97
योग		**383**	**97.34**

वर्ष 2011–12 के दौरान, विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 21 मामलों में ₹ 11.18 लाख स्वीकार एवं वसूल किये, जिसमें से ₹ 35,045 के तीन मामले वर्ष 2011–12 के दौरान तथा शेष विगत वर्षों में इंगित किये गये थे।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 12.08 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

3.7 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

राज्य आबकारी विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में अल्कोहल का कम उत्पादन, टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी0आर0एस0) के मार्गस्थ/भण्डारण छीजन के कारण राजस्व क्षति, अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण आदि के मामले प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती है परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं, अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

3.8 माडल दुकानों पर लाइसेंस फीस का कम आरोपण

26 फरवरी 2010 एवं 12 मार्च 2011 को अधिसूचित क्रमशः आबकारी नीति 2010 एवं 2011 के अनुसार वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 या वर्ष के भाग के लिये माडल शाप (दुकान) के व्यवस्थापन के लिये लाइसेंस फीस क्रमशः ₹ 8 लाख एवं ₹ 9 लाख निर्धारित की गयी या उसी वर्ष में नगर/कस्बे में व्यवस्थित विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की सम्मिलित सर्वोच्च लाइसेंस फीस की धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो भी अधिक हो, परन्तु यह इन वर्षों में क्रमशः ₹ 22 लाख एवं ₹ 25 लाख से अधिक नहीं हो सकती थी, निर्धारित की गई।

हमने अप्रैल 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य 10 जिला आबकारी कार्यालयों[1] (जि0आ0का0) के अभिलेखों[2] की जॉच में देखा कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिये विदेशी मदिरा एवं बीयर की 27 माडल दुकानों[3] की लाइसेंस फीस ₹ 2.96 करोड़ निर्धारित की गयी थी जबकि आबकारी नीति के अनुसार यह ₹ 4.50 करोड़ आती है। जि0आ0का0 ने नगर/कस्बे में सर्वोच्च विक्रय वाली व्यवस्थापित फुटकर दुकानों की गणना में इन माडल दुकानों द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में की गई वास्तविक बिक्री की अनदेखी किया। उन्होनें लाइसेंस फीस निर्धारित करने के लिये नगर/कस्बे की दूसरी दुकानों की बिक्री को संज्ञान में लिया, जबकि ये माडल दुकाने भी व्यवस्थित फुटकर दुकाने हैं, अधिकतम सीमा निर्धारण से पूर्व लाइसेंस फीस नियत किये जाने में माडल दुकानों की बिक्री को संज्ञान में लिया जाना आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ का कम राजस्व आरोपित/वसूल हुआ। विवरण **परिशिष्ट–VI** में दिया गया है।

हमारे द्वारा इसे (जून 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य) इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने जुलाई 2012 में बताया कि व्यवस्थित माडल दुकानों की लाइसेंस फीस का आरोपण एवं संग्रहण शासन द्वारा निर्गत आबकारी नीति के अनुसार किया गया। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि माडल दुकानों की पिछली 12 माह की वास्तविक बिक्री, जो कि व्यवस्थित फुटकर दुकाने भी हैं, को लाइसेंस फीस की गणना करते समय संज्ञान में नहीं लिया गया।

[1] जि0आ0का0 मथुरा, फैजाबाद, एटा, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, झॉसी, लखनऊ, गाजीपुर, रामपुर, एवं कांशीराम नगर।

[2] माडल शाप व्यवस्थापन पत्रावलियॉ, आबकारी नीतियॉ एवं बिक्री रिपोर्ट्स/विवरणियॉ।

[3] माडल दुकान, न्यूनतम् 600 वर्ग फुट कार्पेट एरिया एवं उपभोग की भी सुविधा के साथ निगम, शहर या नगर पालिका के व्यावसायिक रूप से स्वीकृत क्षेत्र में स्थित शहर एक अनुज्ञापित दुकान है।

3.9 विदेशी मदिरा की दुकानों पर लाइसेंस फीस का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का वार्षिक लाइसेंस फीस वर्तमान वर्ष में बिक्रीत बोतलों की संख्या के आधार पर आरोपणीय है। नयी आबकारी नीति 2009–10 एवं 2010–11 के अनुसार बिक्रीत बोतलों की संख्या का आगणन 10 माह की वास्तविक बिक्री के आधार पर किया जाना था (यथा अप्रैल से जनवरी की वास्तविक बिक्री तथा फरवरी एवं मार्च के लिए अप्रैल से जनवरी की बिक्री का 1/5)। इसी प्रकार दिनांक 12 मार्च 2011 को वर्ष 2011–12 के लिये अधिसूचित आबकारी नीति के अनुसार बिक्रीत बोतलों की संख्या का आगणन 11 माह की वास्तविक बिक्री के आधार पर किया जाना था (यथा अप्रैल से फरवरी की वास्तविक बिक्री तथा मार्च के लिए अप्रैल से फरवरी की बिक्री का 1/11)।

हमने छः जि0आ0का0[4] के अभिलेखों[5] एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय से सूचना संकलन से देखा कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिये राज्य की विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानों की वार्षिक लाइसेंस फीस 10 माह की वास्तविक बिक्री यथा पिछले वर्ष की अप्रैल से जनवरी तक की बिक्री तथा उसी वर्ष के फरवरी एवं मार्च की आगणित[6] बिक्री के योग के आधार पर निर्धारित की गयी थी। उसी प्रकार 2011–12 हेतु लाइसेंस फीस, अप्रैल 2010 से फरवरी 2011 की वास्तविक बिक्री तथा मार्च 2011 की आगणित बिक्री के योग पर आधारित थी। वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस क्रमशः ₹ 170.83 करोड़, ₹ 229.04 करोड़ एवं ₹ 317.66 करोड़ के विरूद्ध गत 12 कैलेण्डर माहों के दौरान बिक्रीत वास्तविक बोतलों की संख्या के आधार पर आगणित लाइसेंस फीस सम्बन्धित वर्षों हेतु क्रमशः ₹ 175 करोड़, ₹ 233.78 करोड़ एवं ₹ 321.87 करोड़ थी। गणना का आधार निर्धारित करते समय विभाग के पास गत 12 माह के दौरान बिक्रीत वास्तविक बोतलों की संख्या से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध थी, जिसकी अनदेखी की गई तथा 2009–10 से 2010–11 एवं 2011–12 हेतु लाइसेंस फीस की गणना के लिए क्रमशः दो एवं एक माह की आगणित बिक्री आधार के रूप में ली गई। इसके कारण 2009–10 से 2011–12 के दौरान लाइसेंस फीस के रूप में शासन ₹ 13.12 करोड़ (₹ 4.17 करोड़ + ₹ 4.74 करोड़ + ₹ 4.21 करोड़) के राजस्व से वंचित रहा।

हमारे द्वारा इसे (अगस्त 2011 एवं मई 2012 के मध्य) इंगित किये जाने पर शासन ने जुलाई 2012 में बताया कि शासन द्वारा निर्गत आबकारी नीतियों के अनुसार व्यवस्थापन किया गया। यह उत्तर विभाग द्वारा गत वर्ष दिये गये उत्तर, जिसमें उन्होंने कहा था कि सांख्यिकीय आँकडों के अध्ययन के पश्चात् सुझाव के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, के विपरीत है एवं हमारा प्रेक्षण सांख्यिकीय विश्लेषण से समर्थित है।

हम संस्तुति करते हैं कि शासन को राजस्व हित में वार्षिक लाइसेंस फीस का निर्धारण गत 12 माहों के वास्तविक बिक्री के आधार पर करना चाहिए।

---

[4] जि0आ0का0 लखनऊ, कौशाम्बी, इटावा, जालौन, गोण्डा एवं ललितपुर।

[5] विदेशी मदिरा व्यवस्थापन पत्रावलियॉ, आबकारी नीतियॉ एवं विक्रय रिपोर्ट्स।

[6] 2009–10 एवं 2010–11 की आगणित बिक्री– 10 माह की वास्तविक बिक्री (अप्रैल से जनवरी) + 2 ग 10 माह की वास्तविक बिकी का औसत।
2011–12 की आगणित बिकी– 11 माह की वास्तविक बिकी (अप्रैल से फरवरी) + 11 माह की वास्तविक बिक्री का औसत।

3.10 आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 38(अ) के अन्तर्गत जहाँ कोई भी आबकारी राजस्व देय होने की तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है, उक्त आबकारी राजस्व पर देय तिथि से भुगतान तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है।

हमने चार जि0आ0का0 के अभिलेखों[7] से देखा (जनवरी 2012 से अप्रैल 2012) कि अगस्त 2004 से फरवरी 2012 की अवधि में 91 अनुज्ञापियों द्वारा 1987–88 से 2010–11 की अवधि से सम्बन्धित ₹ 25.20 लाख तीन माह एवं 273 माह के मध्य विलम्ब से जमा किया गया। तथापि, विभाग द्वारा विलम्बित भुगतान पर ₹ 27.04 लाख ब्याज का आरोपण एवं संग्रहण, जैसा कि नीचे विवरणित है, नहीं किया गया:

क्र0 सं0	इकाई का नाम	दुकानों/ अनुज्ञापियों की संख्या	अवधि जिसके दौरान आबकारी राजस्व देय हुआ	बकाया धनराशि (₹ में)	विलम्बित अवधि माह में जिसके पश्चात धनराशि प्राप्त हुई	प्रभारित/ वसूल न की गई ब्याज की धनराशि (₹ में)
1	जि0आ0का0 रायबरेली	8	2002-03 से 2003-04	11,09,433	79 – 100	15,81,876
2	जि0आ0का0 फतेहपुर	55	1987-88 से 2008-09	4,03,783	03 – 273	2,43,396
3	जि0आ0का0 गोण्डा	25	2002–03 से 2010-11	6,18,965	04 – 107	5,26,259
4	जि0आ0का0 बलिया	3	2001-02 से 2004-05	3,87,731	29 – 71	3,52,917
योग		**91**		**25,19,912**	**03 - 273**	**27,04,448**

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने (फरवरी 2012 से मई 2012) के पश्चात् शासन ने जुलाई 2012 में हमारी आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि बलिया एवं रायबरेली में ब्याज की वसूली प्रारम्भ की जा चुकी है तथा शेष दो जिलों में ब्याज की वसूली हेतु नोटिस निर्गत कर दिये गये हैं।

3.11 कुल अपचायक शर्करा (टी.आर.एस.) का मार्गस्थ एवं भण्डारण छीजन

3.11.1 शीरे का मार्गस्थ छीजन

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण नियमावली, 1974 के नियम 8, 20 एवं 25 के अन्तर्गत शीरे में उपस्थित कुल अपचायक शर्करा (टी0आर0एस0) पर कोई मार्गस्थ छीजन (ट्रांजिट लास) तथा भण्डारण छीजन (स्टोरेज लास) अनुमन्य नहीं है। उ0प्र0 आबकारी आसवनियों के कार्य कलाप (संशोधन) नियमावली, 1978 के नियम 15–ख (तीन) के अन्तर्गत शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से न्यूनतम 52.5 अल्कोहलिक लीटर (ए0एल0) अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए। अग्रेतर, आबकारी आयुक्त के मई 1995 के परिपत्र के अनुसार टी0आर0एस0 में अधिकतम 12 प्रतिशत अकिण्वीय शर्करा विद्यमान होती है।

हमने अप्रैल 2011 एवं फरवरी 2012 के मध्य तीन आसवनियों[8] के अभिलेखों[9] की लेखापरीक्षा के दौरान देखा कि अगस्त 2010 से मार्च 2011 के मध्य शीरे के परिवहन करते समय चीनी मिलों द्वारा निर्गत की गई परिवहन पास में दर्शायी गयी मात्रा में 0.11 से 5.90 प्रतिशत के मध्य टी0आर0एस0 की हानि हुई थी। जिन्हें आसवनियों

[7] जी–6, बकाया रजिस्टर, रसीद बुक, रोकड़ बही एवं कोषागार विवरण।

[8] लार्ड्स आसवनी, नन्दगंज, गाजीपुर, वेब आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ़ तथा मोहन मीकिन आसवनी, मोहन नगर, गाजियाबाद।

[9] प्रयोगशाला की रिपोर्ट्स एवं एम0एफ0–4 पासेस।

के निरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया था। आसवनियों द्वारा 1,835.72 कुन्तल टी0आर0एस0 कम प्राप्त किया गया, जिससे 84,810.26 ए0एल0[10] अल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता था जो कि आबकारी आयुक्त के आदेश के अनुरूप संगणित[11] किया गया है। इसे इन आसवनियों में उत्पादित कुल पेय एवं औद्योगिक अल्कोहल के समानुपात[12] में बाँटने के उपरान्त हमने पाया कि इससे ₹ 3.56 करोड़ आबकारी राजस्व सन्निहित 84,749 ए0एल0 मदिरा का उत्पादन किया जा सकता था, जैसा कि **परिशिष्ट– VII (अ)** में दर्शाया गया है।

3.11.2 शीरे का भण्डारण छीजन

हमने अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2011 के मध्य चार आसवनियों[13] के अभिलेखों[14] की लेखा परीक्षा में देखा कि इन आसवनियों में मार्च 2010 तथा अक्टूबर 2011 की अवधि के दौरान 3,58,030 कुन्तल शीरे का भण्डारण किया गया। भण्डारण के दौरान किण्वीय शर्करा में 0.08 तथा 0.98 प्रतिशत के मध्य छीजन हुआ। इस छीजन चले गये किण्वीय शर्करा की संगणना 3,197.882 कुन्तल की गई जिससे 1,67,888.829 ए0एल0 अल्कोहल उत्पादित किया जा सकता था। इन आसवनियों में उत्पादित कुल पेय तथा औद्योगिक अल्कोहल के समानुपात[15] में इसे विभाजित करने पर हमने पाया कि इससे 1,53,988.341 ए0एल0 पेय अल्कोहल, जिसमें ₹ 6.47 करोड़ आबकारी राजस्व निहित था, का उत्पादन किया जा सकता था, जैसा कि **परिशिष्ट– VII (ब)** में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इसे अगस्त 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2012) कि अल्कोहल का उत्पादन किण्वीय शर्करा पर आधारित होता है न कि चीनी मिलों से प्रेषित या आसवनियों में प्राप्त/भण्डारित टी0आर0एस0 की मात्रा पर। शासन का उत्तर आबकारी आयुक्त द्वारा 1995 में निर्गत परिपत्र पर आधारित नहीं है, जिसके अनुसार टी0आर0एस0 में न्यूनतम 88 प्रतिशत किण्वीय शर्करा की मात्रा का मानक निर्धारित किया गया था। परिपत्र वर्तमान में भी प्रभावी है लेकिन शासन को राजस्व क्षति उठानी पड़ी क्योंकि आसवनियों में उन शर्तों को सुनिश्चित नहीं किया गया जो कि परिपत्र के अनुरूप अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक थी।

---

[10] 1,835.72 x 46.2 = 84,810.26 ए0एल0

[11] शीरे में अधिकतम 12 प्रतिशत अकिण्वीय शर्करा उपस्थित होती है। इस प्रकार एक कुन्तल टी0आर0एस0 में 88 किग्रा0 किण्वीय शर्करा होती है, जिससे 46.2 ए0एल0 अल्कोहल उत्पादित हो सकता है क्योंकि उ0प्र0 आबकारी वर्किंग डिस्टीलरी (संशोधन) नियमावली, 1978 के नियम 15 (ब) (3) के अनुसार प्रति कुन्तल किण्वीय शर्करा से 52.5 ए0एल0 अल्कोहल उत्पादित होती है।

[12] पेय मदिरा का प्रतिशतः लार्ड्स आसवनी, नन्दगंज, गाजीपुर – 99.9, वेव आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ़– 100, मोहन मीकिन आसवनी, मोहन नगर, गाजियाबाद– 100

[13] लार्ड्स आसवनी, नन्दगंज, गाजीपुर, वेब आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ़, उन्नाव आसवनी एवं यवासनी लि0 उन्नाव एव केशर इण्टरप्राइजेज लि0, बहेड़ी, बरेली।

[14] सी0ओ0टी0 रजिस्टर।

[15] पेय मदिरा का प्रतिशतः लार्ड्स आसवनी, नन्दगंज, गाजीपुर– 99.9, वेव आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ़– 100, उन्नाव आसवनी एवं यवासनी लि0 उन्नाव– 100 एव केसर इण्टरप्राइजेज लि0, बहेड़ी, बरेली– 62.26

3.12 शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन

उ0प्र0 आबकारी आसवनियों के कार्य कलाप संशोधन) नियमावली, 1978 के नियम 15–ख (तीन) के अन्तर्गत शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से न्यूनतम 52.5 अल्कोहलिक लीटर (ए0एल0) अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए। इस उद्देश्य से आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे से मिश्रित नमूने लेकर अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट को जाँच के लिए भेजा जाना अपेक्षित है। शीरे से अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन में असफल रहने पर अन्य शास्तियों के अतिरिक्त लाइसेंस रद्द किया जा सकता है तथा जमानत के रूप में जमा प्रतिभूति जब्त की जा सकती है।

हमने अप्रैल 2011 और फरवरी 2012 के मध्य चार आसवनियों[16] के अभिलेखों[17] की जाँच में देखा कि अप्रैल 2010 से फरवरी 2012 के दौरान 5.13 लाख कुन्तल शीरे के 24 मिश्रित नमूने शर्करा की मात्रा के निर्धारण हेतु अल्कोहल टेक्नोजालाजिस्ट को भेजे गये थे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर शीरे में उपस्थित 1.90 लाख कुन्तल किण्वीय शर्करा से 99.60 लाख ए0एल0 अल्कोहल उत्पादित होना चाहिए था। इसके विरूद्ध अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 96.32 लाख ए0एल0 हुआ था, जिससे कुल 3.27 लाख ए0एल0 का कम उत्पादन हुआ। इसे इन आसवनियों में उत्पादित कुल पेय एवं औद्योगिक अल्कोहल के समानुपात[18] में बांटने के उपरान्त, हमने पाया कि इससे 3.24 लाख ए0एल0 पेय अल्कोहल का कम उत्पादन हुआ था, जिसमें ₹ 13.60 करोड़ का राजस्व निहित था। ग्यारह प्रकरणों को आबकारी आयुक्त द्वारा प्रशमित किया गया था और ₹ 47,000[19] की शास्ति आरोपित की गई थी तथा प्रतिभूति जमा में से आंशिक रूप से ₹ 1.85 लाख[20] जब्त करने का आदेश दिया गया था जो कि सम्पूर्ण राजस्व क्षति की तुलना में बहुत कम था। विभाग ने अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार इन आसवनियों के लाइसेंसो को रद्द नहीं किया।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने (अगस्त 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) के पश्चात शासन ने जुलाई 2012 में उत्तर दिया कि अल्कोहल के कम उत्पादन पर हम करारोपण नहीं कर सकते क्योंकि अल्कोहल का निर्माण वास्तविक रूप से नहीं हुआ होता है अपितु सैद्धान्तिक होता है। उन्होने यह भी बताया कि इसका कारण प्लान्ट/मशीनरी में आई आकस्मिक खराबियों एवं प्लान्ट के चलते समय प्रक्रियाओं के संचालन में आया गतिरोध है। विभाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि सम्बन्धित चार आसवनियों में से तीन आसवनियों में उक्त तथ्य को विगत वर्ष हम संज्ञान में लाये थे लेकिन उन त्रुटियों का सुधार नहीं किया गया।

---

[16] लार्ड्स आसवनी, नन्दगंज, उन्नाव आसवनी एवं यवासनी लि0 उन्नाव, मोदी आसवनी, गाजियाबाद, एवं वेब आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ़।

[17] सी0ओ0टी0 रजिस्टर एवं ए0टी0 लैब रजिस्टर।

[18] पेय मदिरा का प्रतिशतः लार्ड्स आसवनी, नन्दगंज, गाजीपुर – 99.9, उन्नाव आसवनी एवं यवासनी लि0 उन्नाव – 100, मोदी आसवनी, गाजियाबाद– 61.37 एवं वेव आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ़– 100

[19] प्रशमनः लार्ड्स आसवनी, गाजीपुर (दोनो प्रकरणों में– ₹ 3000), उन्नाव आसवनी एवं यवावनी लि0, उन्नाव (दोनो प्रकरणों में– ₹ 10000), वेव आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ (14 प्रकरणों में से सात प्रकरणों में– ₹ 34000)

[20] प्रतिभूति जमा का समपहरणः उन्नाव आसवनी एवं यवावनी लि0, उन्नाव (दोनो प्रकरणों में– ₹ 45000), वेव आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ (14 प्रकरणों में से सात प्रकरणों में– ₹ 1.40 लाख)

3.13 परीक्षण शुल्क का कम वसूल किया जाना

आसवनियों, यवासवनियों, चीनी मिलों, मदिरा की दुकानों और अल्कोहल आधारित उद्योगों से प्राप्त शीरा, अल्कोहल, बीयर तथा अन्य रसायनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं समुचित नियन्त्रण बनाये रखने हेतु राज्य में तीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाए, गोरखपुर, लखनऊ तथा मेरठ में स्थापित की गई हैं। इलाहाबाद में स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला इन क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का समन्वय एवं नियन्त्रण करती है।

6 अक्टूबर 2006 के शासकीय विज्ञप्ति के अनुसार नमूना परीक्षण शुल्क की दर को 80 रूपये से पुनरीक्षित कर 160 रूपये प्रति नमूना किया गया। पुनरीक्षित दर 6 अक्टूबर 2006 से प्रभावी थी।

हमने अप्रैल 2011 में आबकारी आयुक्त कार्यालय में रखे अल्कोहल तकनीकी प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट्स तथा अभिलेखों की लेखापरीक्षा और नवम्बर 2012 में वहाँ से एकत्रित सूचना से देखा कि वर्ष 2008–09 से 2011–12 के मध्य अल्कोहल तकनीशियनों द्वारा 36,635 नमूनों का परीक्षण किया गया। इन परीक्षणों से देय परीक्षण शुल्क ₹ 58.62 लाख के विरूद्ध मात्र ₹ 36.55 लाख ही वसूल किया गया। इस प्रकार परीक्षण शुल्क के ₹ 22.06 लाख कम वसूल किये गये।

हमारे द्वारा इसे नवम्बर 2011 में इंगित किये जाने के पश्चात शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2012) और बताया कि वर्ष 2009–10 से 2010–11 के मध्य फार्मेसियों से प्राप्त नमूनों के परीक्षण शुल्क के रूप में ₹ 12.03 लाख वसूल हो चुके हैं। वर्ष 2008–09 तथा 2011–12 से सम्बन्धित वसूली के विषय में हमें कोई सूचना प्राप्त नही हुई (फरवरी 2013)।

3.14 विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों पर लाइसेंस फीस का कम आरोपण/वसूली किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के नियम 4(ग) के अन्तर्गत विदेशी मदिरा, बीयर तथा वाइन की थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0–2 में लाइसेंस दिया जायेगा। पुनश्च, नियमावली के नियम–6 (लाइसेंस की स्वीकृति) के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0–2 के लाइसेंस जनपदवार होंगे।

वर्ष 2010–11 तथा वर्ष 2011–12 की आबकारी नीति के अनुसार विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन वि0म0–2 की लाइसेंस फीस जनपद में पूर्व वर्ष में फुटकर अनुज्ञापनों से बिक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:–

क्र0 सं0	जनपद में पूर्व वर्ष में फुटकर अनुज्ञापियों से बिक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या	लाइसेंस फीस (₹ लाख में)
1	7 लाख बोतल तक	5.00
2	7 लाख से 15 लाख बोतल तक	10.00
3	15 लाख से 25 लाख बोतल तक	20.00
4	25 लाख से 30 लाख बोतल तक	30.00
5	30 लाख बोतल से अधिक	40.00

हमने अप्रैल 2011 में आबकारी आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों[21] की जॉच एवं वहॉ से एकत्रित सूचना से देखा कि प्रदेश में वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में क्रमशः 20 तथा 21 जनपदों में वि0म0–2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नहीं हुआ था।

अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2010–11 और 2011–12 में क्रमशः सात और

[21] अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन की पत्रावलियॉ, बिक्री/उपभोग विवरण, रसीद बुकें एवं रोकड़ बही।

आठ जनपदों[22] में लाइसेंस फीस सही नहीं वसूली गई जिसके कारण राजस्व क्षति हुई।

जिन जनपदों में वि0म0–2 के अनुज्ञापियों का व्यवस्थापन नहीं हुआ था वहाँ पर विदेशी मदिरा की आपूर्ति के लिए आबकारी आयुक्त ने निकटवर्ती जनपदों के वि0म0–2 के अनुज्ञापनों को अधिकृत किया था किन्तु इन अनुज्ञापियों से लाइसेंस फीस सही तरीके से आरोपित एवं वसूल नहीं किये गये। लाइसेंस फीस की गणना का आधार केवल आपूर्तिकर्ता के मूल जनपद में बिक्रीत बोतलों की संख्या थी जबकि इन अनुज्ञापनों के द्वारा अन्य जनपदों में विदेशी मदिरा की आपूर्ति के कारण बिक्रीत बोतलों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अतः लाइसेंस फीस का निर्धारण करते समय अपने जनपद में बिक्रीत बोतलों की संख्या के साथ–साथ जहाँ आपूर्ति की गई उन जनपदों में बिक्रीत बोतलों की संख्या आगणित करके तद्नुसार लाइसेंस फीस पुनरीक्षित करनी चाहिए थी। इसको संज्ञान में न लेने के कारण ₹ 80 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–VIII** में वर्णित है।

हमारे द्वारा इसे जुलाई 2011 में इंगित किये जाने के पश्चात शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2012) कि वि0म0–2 का व्यवस्थापन प्रत्येक जनपद के लिए आवश्यक नहीं है और वि0म0–2 लाइसेंस की शर्त संख्या–11 के अनुसार आबकारी आयुक्त की अनुमति पर वह अपने क्षेत्राधिकार के बाहर अन्य जिलों के फुटकर अनुज्ञापियों को भी विदेशी मदिरा की बिक्री कर सकता है। शासन का उत्तर हमारे आपत्ति बिन्दु के सापेक्ष नहीं है जिसमें लाइसेंस फीस के आरोपण हेतु गणना में आपूर्तिकर्ता के अपने जनपद के साथ–साथ अतिरिक्त अनुमन्य जनपद में बिक्रीत बोतलों की संख्या संकलित नहीं की गई।

3.15 बीयर की थोक आपूर्ति पर लाइसेंस फीस का अनारोपण/कम आरोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के नियम–4(ग) के अन्तर्गत विदेशी मदिरा, बीयर तथा वाइन की थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0–2 में लाइसेंस दिया जायेगा।
वर्ष 2009–10 तथा वर्ष 2010–11 की आबकारी नीति के अनुसार विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन एफ0एल0–2 की फीस जनपद में पूर्व वर्ष में फुटकर अनुज्ञापनों से बिक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

क्र0 सं0	जनपद में पूर्व वर्ष में फुटकर अनुज्ञापियों से बिक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या	लाइसेंस फीस (₹ लाख में)
1	7 लाख बोतल तक	5.00
2	7 लाख से 15 लाख बोतल तक	10.00
3	15 लाख से 25 लाख बोतल तक	20.00
4	25 लाख से 30 लाख बोतल तक	30.00
5	30 लाख बोतल से अधिक	40.00

पुनश्च, उपरोक्त नियमावली के नियम–4(च) के अनुसार केवल बीयर की थोक बिक्री के लिए संलग्न प्रपत्र वि0म0–2ख में (पाँच लाख रूपया लाइसेंस फीस जमा करवाकर) लाइसेंस दिया जायेगा।

हमने सितम्बर 2011 एवं नवम्बर 2011 के मध्य पाँच जिला आबकारी अधिकारियों के कार्यालयों के अभिलेखों[23] की नमूना जाँच तथा आबकारी आयुक्त कार्यालय से एकत्रित सूचना में देखा कि वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में क्रमशः 52 तथा 54 जनपदों में वि0म0–2 के अनुज्ञापियों को

[22] 2010–11 एवं 2011–12 – लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़ एवं सिद्धार्थनगर।
2010–11 – हरदोई, चन्दौली, कांशीराम नगर एवं अम्बेडकर नगर।
2011–12 – पीलीभीत, सन्त कबीर नगर, चित्रकूट, हमीरपुर एवं महोबा।

[23] अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन की पत्रावलियाँ, बिक्री/उपभोग विवरण, रसीद बुकें एवं रोकड़ बही।

विदेशी मदिरा के साथ–साथ फुटकर दुकानों को बीयर की आपूर्ति हेतु भी अधिकृत किया गया था। वि0म0–2 के अनुज्ञापियों से लाइसेंस फीस की वसूली हेतु पिछले वर्ष की विदेशी मदिरा की अनुमानित बिक्रीत बोतलों की संख्या ही संगणना हेतु ली गई जबकि अनुज्ञापियों द्वारा बेची गई बीयर की बोतलों की संख्या सम्मिलित नहीं की गई। इन जनपदों में अलग से कोई वि0म0–2ख के अनुज्ञापन भी निर्गत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप ₹ 9.25 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई जैसा कि **परिशिष्ट– IX** में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इसे अक्टूबर 2011 एवं नवम्बर 2011 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने बताया (अगस्त 2012) कि अनुज्ञापन वि0म0–2 के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण पूर्व वर्ष में केवल विदेशी मदिरा की बोतलों की अनुमानित बिक्री के आधार पर की जाती है। हम शासन के इस उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि संगत वर्षों की आबकारी नीति में उल्लेख नहीं है कि मात्र बिक्रीत विदेशी मदिरा के आधार पर ही वि0म0–2 के अनुज्ञापियों की लाइसेंस फीस की गणना की जायेगी। क्योंकि इन जनपदों में वि0म0–2ख के अनुज्ञापन व्यवस्थित नहीं किये गये इस कारण बीयर की बोतलों की बिक्री पर लाइसेंस फीस का आरोपण नहीं हुआ, फलस्वरूप राजस्व की क्षति हुई।